Supreme Court Direction on Uniform Civil Code

1792. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:
SHRI GOVINDRAO ADIK:
SHRI DILIP SINGH JUDEV:

Will the Minister of PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the recent judgement of the Hon'ble Supreme Court regarding the Uniform Civil Code and the diective given to Government in the Judgement has been duly studied; and

(b) what steps are being taken to carry out the said directive of the Court?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) and (b) The Judgement of the Hon'ble Supreme Court of India has been studied. It has been on the consistent policy of the Government not to interfere in the personal laws of any minority community until the initiative therefor comes from the community concerned. In view of this the Government do not propose to bring in any legislation on Uniform Civil Code at this stage.

पान मसाले के सेवन के दुष्प्रभाव

1793. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 9 मार्च, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 220 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तम्बाकू के सेवन से प्रति वर्ष होने वाली मौतों की संख्या कितनी है और कितने प्रतिशत लोगों को तम्बाकू का सेवन करने की लत है,

(ख) पान मसालों पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाये जाने के क्या कारण है,

(ग) क्या तम्बाकू के सेवन को रोकने/कम करने के लिए पान मसाले के हर पाउच और पैकेट पर लिखी वैधानिक चेतानवी को पर्याप्त मानती है, यदि नहीं,

तो क्या पान मसाला बेचने वाली कंपनियों के माल एंव पान मसाला के अवगुणों की सरकार द्वारा समय-समय पर पर जाचं कराई जाती है, और

(घ)यदि हां, तो अब तक किये गये इस प्रकार के जाचं कार्य और उसके पश्चात की गई काग्रवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा.सी.सिल्वेरा): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने अनुमान लगाया है कि भारत में हर वर्ष 8 लाख मौतें तम्बाकू से सम्बद्ध रोगों से होती है और लगभग 14.2 करोड़ पुरूष और 7.2 करोड़ महिलाएं तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं।

(ख) से (घ) परिषद् के अनुसार इस बात का पता लगाने के लिए कि इससे स्वास्थ्य को कितना खतरा हो सकता है और अध्ययन किए जाने जरूरी है । तथापि, खाने के तम्बाकू और पान मसाले के उपभोग को निरूत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए है:-

(I) खाने के तम्बाकु के पैकटों पर सांविधिक चेतावनी "तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" का उल्लेख करना।

(II) पान मसाला के विज्ञापन और लेबल पर सांविधिक चेतावनी "पान मसाला खाने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है" का उल्लेख करना।

(III) आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए पान मसाला के विज्ञापन को पहले ही बंद कर दिया गया है।

(IV) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार, सरकारी भवनों और सभी स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थाओं में स्थित दुकानों पर पान मसाला और ऐसी ही अन्य उत्पादों की ब्रिकी को निरूतसाहित करें और पान मसाला तथा खाने के तम्बाकू के उपभोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में उपयुक्त प्रचार-प्रसार करें